न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः- 64/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः- 2017/00218

उनवान

1. महेशचन्द पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी गॉवडी तहसील व जिला भरतपुर।
2. सूरज पुत्र महेशचन्द
3. तनु
4. अन्नू } पुत्री महेशचन्द

} नाबालिग जरिये वली पिता महेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी गॉवडी तहसील व जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)

बनाम

1. श्रीमती रामो बेवा वीरो
2. परसराम पुत्र वीरो

} जाति ब्राहम्ण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।

3. गुड्डू पुत्र वीरो नाबालिग जरिये वली माता रामो जाति ब्राहम्ण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
4. लक्ष्मी पुत्री वीरो जाति ब्राहम्ण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी गोपालगण मौहल्ला भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.... असल रेस्पोंडेंट।

5. धीरज पुत्र नेत्रपाल जाति जाट निवासी नगला हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।
6. कमलेश पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा।
7. गीता फौजदार पत्नी महेश फौजदार जाति जाट निवासी नगला केवल तहसील व जिला भरतपुर।
8. मीरा देवी पत्नी भरत सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी नगला परसराम तहसील व जिला भरतपुर।
9. राजकुमारी पत्नी विनयकुमार जाति जाट निवासी नगला केवल तहसील व जिला भरतपुर।
10. चन्द्रकला पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी इन्द्रनगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.... तरतीबी रेस्पोडेंट।

अपील विरुद्ध निर्णय ~~व डिक्री~~ दिनांक 18.01.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर प्रकरण संख्या 09/2017 उनवानी रामो बनाम लक्ष्मी।

उपस्थितिः-

1. श्री दिनेश शर्मा व सोनीराम शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री तालेराम व नीरपाल कुन्तल वकील रेस्पोंडेंट।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

निर्णय दिनांक–01.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 3 द्वारा असल रैस्पो0 संख्या 04 के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 बाबत् दावा प्रस्तुत कर खातेदारी की घोषणा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी की रिलीफ चाही एवं उक्त दावे के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा की दादरसी केवल रैस्पो0 संख्या 04 के विरूद्ध चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से सम्पूर्ण आराजी पर दिनांक 18.01.2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर रैस्पो0 संख्या 01 के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 द्वारा केवल असल रैस्पो0 संख्या 04 के विरूद्ध हुक्म इम्तनाई की दादरसी चाही गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी जिससे अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 के हित प्रभावित हो रहे हैं और क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने में भी परेशानी आ रही है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को दावे व प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह आराजी मुतनाजा में सहखातेदार दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 से अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 द्वारा कोई रिलीफ भी नहीं चाही गई थी तब केवल रैस्पो0 संख्या 4 के हिस्से तक ही अधीनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करनी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये, सम्पूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2017 को अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के हिस्से की आराजी से प्रभावहीन रखते हुये केवल रैस्पो0 संख्या 04 के हिस्सा तक ही प्रभावी रखे जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील की गई है। नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील लाई नही करती है। यदि स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014(1) पेज 410 एवं 2015(1) पेज 96 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 संख्या

अखिलेश कुमार मिश्रा
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज0)

01 लगायत 03 द्वारा केवल मात्र रैस्पो0 संख्या 04 के विरूद्ध हुक्म इम्तनाई दवामी का अनुतोष चाहा है। जिस पर अधीनस्थ द्वारा अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 संख्या 04 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित आराजी को विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं ना ही वह प्रकरण में पक्षकार हैं। न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2017 से अपीलाण्ट के हिस्से की सीमा तक स्थगन के प्रभाव को स्थगित किया गया है। वक्त बहस प्रार्थीगण तरतीवी रैस्पो0 संख्या 05 व 06 द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2017 को उनके हिस्से तक प्रभावहीन करने का निवेदन किया है। यह सही है कि विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। परन्तु अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं ना ही वादी/असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 द्वारा ही अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 से विवादित आराजी को लेकर विवाद है। परन्तु अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 विवादित आराजी में सहखातेदार होने के कारण अपीलाधीन आदेश से परिवेदित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि वादी/असल रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 का अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 से विवादित भूमि को लेकर कोई विवाद ना होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2017 अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 की हिस्से की आराजी तक प्रभावहीन रखते हुये केवल असल रैस्पो0 संख्या 04 के हिस्सा तक ही प्रभावी रखा जाता है।

6. अतः आदेश हैं कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2017 केवल असल रैस्पो0 संख्या 04 के हिस्से तक ही प्रभावी रखा जाकर अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 संख्या 05 लगायत 10 के हिस्से तक निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि असल पक्षकारान रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण का निस्तारण अधिकतम एक माह में आवश्यक रूप से करे। असल पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.08.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.07.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर